संख्या ________/XII/2005/[illegible]

प्रेषक,

[illegible]

उप सचिव

उत्तरांचल शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

उत्तरांचल देहरादून ।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग: देहरादून दिनांक 18 फरवरी 2005

विषय:- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु धन की मांग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 299/XII/03/83(4)/2003 दिनांक 23.11.2004 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र संख्या 2056 /ग्रा0अ0से0/बजट/2004-05 दिनांक 02.12.2004 एवं पत्र संख्या 3012/ग्रा.अ.से./दो-लेखा-अधि-बजट/2004-05 दिनांक 31.12.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिष्ठान मद हेतु अधिष्ठान की अवमुक्त धनराशि से पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त टेस्टिंग लैब के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड देहरादून द्वारा गठित आगणन रूपये 12.50 लाख (रू0 बारह लाख पचास हजार मात्र) की टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 10.19 लाख (रूपये दस लाख उन्नीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन के साथ इसके विपरित रू0 3.22 लाख (रू0 तीन लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के साथ चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दर शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली -भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय ।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

7(ए) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

8. यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

क्रमश.....2.....पर/

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये ।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- - 00- आ योजनेत्तर -800-अन्य-व्यय -03-ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की मानक मद-00 -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

12 उपरोक्त निर्माण कार्य के शासन को प्रस्तुत प्राक्कलन की एक संशोधित प्रति भी संलग्न प्रेषित की जा रही है

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1496 /वि0अनु0-2/2005 दिनांक 17 फरवरी 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक:-यथोपरि ।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव ।

संख्या 08 /XII/05/83(4)/2003 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तरांचल ।
3 जिलाधिकारी, देहरादून उत्तरांचल ।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
5 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
6 अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड-देहरादून उत्तरांचल ।
7 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
8 वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन ।
9 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव ।